विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-06/14

मेसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, — **आवेदक**
301, महाकोश हाउस,
7/5, साउथ तुकोगंज, नाथ मंदिर रोड,
इन्दौर (म.प्र.) – 452001

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.), — **अनावेदक**
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) – 482008

आदेश
(दिनांक 09.12.2014 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के शिकायत प्रकरण क्रमांक 339/2013 मेसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड विरूद्ध चीफ इंजीनियर तथा अन्य 3 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2014 से असंतुष्ठ होकर आवेदक/उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

2. इस मामले में यह तथ्य अविवादित है कि उपभोक्ता ने अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी से विद्युत का अस्थाई कनेक्शन दिनांक 17.04.2012 तक के लिए लिया था । दिनांक 17.04.2012 की अवधि समाप्त होने के बाद उपभोक्ता के अस्थाई कनेक्शन की अवधि नहीं बढ़ाई गई थी, परन्तु दिनांक 05.05.2012 को विद्युत वितरण कम्पनी के सतर्कता विभाग द्वारा निरीक्षण करने पर उपभोक्ता को अवैध रूप से विद्युत का उपभोग करते हुए पाया गया था । उसके विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत विद्युत चोरी के अपराध की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी तथा विद्युत विच्छेदन कर दिया गया था । उपभोक्ता ने विद्युत के विच्छेदन के बाद सुरक्षा निधि की राशि को वापस करने का निवेदन किया था । सुरक्षा निधि की राशि में से रू0 30802382/– की राशि दिनांक 13.12.2013 के चैक के माध्यम से वापस की गई थी, परन्तु शेष रू0 1,73,94,618/– को वापस नहीं किया गया था ।

3. उपभोक्ता ने फोरम में इस आशय की शिकायत की थी कि सुरक्षा निधि की राशि संबंध विच्छेदन के 30 दिन के अन्दर उसे वापस की जाना चाहिए और यदि ऐसी राशि 30 दिन के अन्दर वापस नहीं की जाती है तो 1 प्रतिशत मासिक दर से उसे ब्याज के साथ उक्त राशि वापस किया जाना चाहिए था, परन्तु दिनांक 05.05.12 को संबंध विच्छेदन के बाद एक माह के अन्दर उसे राशि वापस नहीं की गई थी । इसके अतिरिक्त रू0 1,73,94,618/– की राशि रखने का भी अनावेदक के पास कोई आधार नहीं था, अतः दिनांक 13.12.13 को जो राशि वापस की गई है उस पर 1 प्रतिशत मासिक दर से उसे ब्याज दिलाया जाए तथा शेष राशि ब्याज के साथ वापस किए जाने का आदेश दिया जाए ।

4. अनावेदक की ओर से यह आपत्ति की गई है कि दिनांक 05.05.12 को निरीक्षण किए जाने पर उपभोक्ता अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते हुए पाया गया था, जिसके कारण उसके विरूद्ध विद्युत चोरी का प्रकरण संस्थित किया गया था । उपभोक्ता द्वारा अवैध रूप से विद्युत का उपयोग किए जाने पर रू0 1,73,94,618/– वसूल किए जाने योग्य है, अतः उक्त राशि रोकी जाकर शेष राशि उसे रसीद पेश करने के 30 दिवस के अन्दर वापस कर दी गई थी, अतः उपभोक्ता कोई भी राशि वसूल पाने का अधिकारी नहीं है ।

5. फोरम ने यह पाया है कि उपभोक्ता को नियमानुसार सुरक्षा निधि की राशि वापस की जा चुकी है, अतः वह अनुज्ञप्तिधारी से कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

6. **विचारणीय प्रश्न यह है कि –** क्या उपभोक्ता चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार हैः–

7. उपभोक्ता की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 4.61 के प्रावधानों के अनुसार उसे सुरक्षा निधि की राशि वापस किया जाना चाहिए था, परन्तु ऐसी राशि उसे वापस नहीं की गई है, अतः उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार उसे राशि वापस किए जाने का आदेश दिया जाए ।

8. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 4.61 का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अस्थाई विद्युत प्रदाय की अवधि पूरी होने के 30 दिवस के अन्दर उपभोक्ता को वापसी योग्य राशि प्रदान की जाएगी और यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो बकाया राशि पर वह 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से उपभोक्ता को ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदाई होगा, परन्तु उपभोक्ता को वापस की

जाने वाली राशि उसी स्थिति में वापस की जाएगी, जबकि उपभोक्ता द्वारा मूल भुगतान की रसीद प्रस्तुत की जाए अथवा क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत किया जाए । ऐसे मूल भुगतान की रसीद प्रस्तुत करने अथवा क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र के 30 दिवस के अन्दर यदि अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को वापसी योग्य राशि वापस नहीं की जाती है तब वह ब्याज अदा करने के उत्तरदाई होगा । इस मामले में उपभोक्ता ने अपने पत्र दिनांक 12.12.13 के द्वारा सुरक्षा निधि की राशि को वापस किए जाने का आवेदन दिया था तथा जमा राशि की मूल रसीद पेश की थी तथा जो रसीद पेश नहीं थी उसके संबंध में क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत किया था । उपभोक्ता द्वारा ऐसा पत्र प्रस्तुत करने के दूसरे दिन अर्थात् 13.13.13 को उसे रू0 30102382/– की राशि चैक के द्वारा वापस की गई थी, अतः विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 4.61 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा मूल भुगतान की रसीद प्रस्तुत करने के 3 दिवस के अन्दर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वापसी योग्य बकाया राशि का भुगतान किए जाने के कारण उपभोक्ता किसी तरह का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होना नहीं पाया जाता है ।

9. शेष राशि 17394618/– को अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस कारण से वापस नहीं किया गया था कि उपभोक्ता अस्थाई विद्युत कनेक्शन की अवधि समाप्त होने के बाद भी विद्युत का उपयोग कर रहा था और जिस मात्रा में उसने विद्युत का उपयोग किया था उसकी राशि यही होती थी और यह राशि उपभोक्ता से वसूली योग्य थी । उपभोक्ता के विरूद्ध विद्युत चोरी का प्रकरण सक्षम न्यायालय में संस्थित किया गया था । उपभोक्ता ने विद्युत चोरी की थी या नहीं तथा उससे कितनी राशि वसूली योग्य है इसका निराकरण ऐसे न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है । यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता ने विद्युत चोरी नहीं की थी या उससे प्रश्नगत राशि वसूली योग्य नहीं है उस स्थिति में संबंध विच्छेदन दिनांक से 30 दिवस के बाद की अवधि के लिए अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उक्त राशि ब्याज के साथ अदा करने के लिए उत्तरदाई होगा, परन्तु जब तक ऐसा निष्कर्ष उपभोक्ता के पक्ष में प्राप्त नहीं होता अर्थात् न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाता है तब तक अनुज्ञप्तिधारी को उक्त राशि को सुरक्षित रखना आवश्यक है । अतः अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की जो शेष राशि वापस नहीं की गई है उसे सुरक्षित रखने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी को है, क्योंकि संहिता की धारा 4.61 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता को वहीं राशि वापस की जाएगी जो वापस किए जाने योग्य हो । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जो राशि रोकी गई है वह वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वापसी योग्य नहीं है, अतः उपभोक्ता उक्त राशि तथा उस पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

10. उपरोक्त विवेचन के अनुसार उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में फोरम द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है उसमें किसी तरह की अवेधता का होना नहीं पाया जाता है, अतः फोरम के आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है । फोरम के आदेश की पुष्टि की जाती है ।

11. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल